

पुशुराम बनाम राजेन्द्र कुमार  
पत्रावली अस्थायी निषेधाज्ञा

मु.न. 163/2023


तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुक्म  
की तालीम में जारी हुए

25.09.2025

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान  
उपस्थित। प्रकरण में उक्त प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा से  
संबंधित मूल प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 सीपसी का  
निस्तारण हो जाने से प्रार्थना पत्र टी.आई. को आगे चलाए जाने  
का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी  
निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर खारीज करने की स्वीकृति दी जाती  
है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर  
हो।

  
( अनिल कुमार )  
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)  
श्रीमाधोपुर (सीकर)

